उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

Uttarakhand Power Corporation Ltd.

(A. Govt. of Uttarakhand Undertaking)

CIN : U40109UR2001SGC025867

Email ID: hr@upcl.org, Website: www.upcl.org

पत्रांकः 968 अधि0निदे0(मा0सं0)/उपाकालि/S-I/औ0सं0 दिनांकः 15/03/2024

कार्यालय–ज्ञाप

शासनादेश सं0–12/I(2)/2021–06(2)–02/2015–TC–1 दिनांक 06.01.2022 के अनुक्रम में कारपोरेशन आदेश सं0– 1033 –नि0(मा0सं0)/उपाकालि/वित्तीय स्तरोन्नयन(एसीपी) दिनांक 16.03.2022 एवं कारपोरेशन आदेश सं0– 1034 –निदे0(मा0सं0)/उपाकालि/ वित्तीय स्तरोन्नयन(ए0सी0पी0) दिनांक 16.03.2022 के क्रियान्वयन के उपरान्त कारपोरेशन के संज्ञान में लाया गया है कि वित्तीय स्तरोन्नयन की व्यवस्था में विभागीय परीक्षा उर्त्तीण करने के उपरान्त एक संवर्ग से दूसरे संवर्ग में सीधी भर्ती वाले पद पर नियुक्ति/चयन के फलस्वरूप कार्मिकों को उन कार्मिकों की तुलना में, जो अपने संवर्ग में यथावत बने हुए है, से कम वेतन प्राप्त हो रहा है, जिससे कार्मिकों के वेतन में विसंगति उत्पन्न हो रही है। ऐसे कार्मिकों के तुलनात्मक वेतन हानि (Comparative loss of pay) के सन्दर्भ में तीनों ऊर्जा निगमों की गठित संयुक्त समिति द्वारा प्रस्तुत आख्या/संस्तुति पर दिनांक 02.12.2023 को तीनों ऊर्जा निगमों के प्रबन्ध निदेशकों की आहूत संयुक्त बैठक में समयक विचारोपरान्त बनी सहमति के क्रम में पूर्ववर्त्ती उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद के आदेश संख्या 153/का0वि0नि0/राविप–29/96–4(3)/पी–86 दिनांक 03.04.1996 तथा आदेश संख्या 404/का0वि0नि0/राविप–20/98–4–6(20)/पी–86 दिनांक 31.03.1998 में निहित प्राविधानों के परिपेक्ष्य के अनुक्रम में कारपोरेशन आदेश सं0 2809 /निदे0(मा0सं0)/उपाकालि/कार्मिक–A दिनांक 19.07.2008 एवं 13536 –नि0(मा0सं0)/उपाकालि/7वां वे0आ0, दिनांक 28.11.2017 के द्वारा पूर्व में आगमन बिन्दु (Induction Point) से समयबद्ध वेतनमान हेतु विकल्प की व्यवस्था को वित्तीय स्तरोन्नयन की अनुमन्यता हेतु लागू करते हुए एतदद्वारा निम्नवत व्यवस्था निर्धारित की जाती हैः–

1. यदि किसी कार्मिक की सीधी भर्ती के पद पर नियुक्ति के उपरान्त अन्य संवर्ग के सीधी भर्ती वाले पद पर चयन प्रक्रिया के तहत पदोन्नति/नियुक्ति के फलस्वरूप आगमन बिन्दु (Induction Point) परिवर्तित होता है और उस परिवर्तित आगमन बिन्दु में समयावधि की गणना करने पर वित्तीय स्तरोन्नयन हेतु जो लाभ प्राप्त होता है वह पूर्व धारित पद की सेवा के सन्दर्भ में प्राप्त लाभ से कम है, तो ऐसी दशा में वित्तीय स्तरोन्यन की अनुमन्यता हेतु संदर्भित कार्मिक को यह विकल्प प्रदान कर दिया जाये कि वह अंतिम सीधी भर्ती के पद अथवा पूर्व सीधी भर्ती के धारित पदों में से किसी एक को अंगीकार करे।
2. उक्त विकल्प प्राप्त करने हेतु प्रभावित कार्मिक को अपने नियंत्रक अधिकारी (Controlling Officer) को प्रार्थना पत्र/प्रतिवेदन देना होगा। नियन्त्रक अधिकारी को प्रतिवेदन प्राप्त होने पर उसका यह दायित्व होगा कि वह प्रभावित कार्मिक के प्रतिवेदन का अपने स्तर से विधिवत परीक्षण कर सम्बन्धित क्षेत्र के उप मुख्यलेखाधिकारी/वरिष्ठ लेखाधिकारी से विधीक्षा (Vetting) कराने के उपरान्त तथा प्रतिवेदन में दिये गये तथ्यों से संतुष्ट होने पर विकल्प की सुविधा प्रभावित कार्मिकों को उपलब्ध करायेगें तथा सक्षम समिति द्वारा विकल्प पत्र के अनुसार वित्तीय स्तरोन्नयन स्वीकृत कर दिया जायेगा।
3. उक्त विकल्प अन्य संवर्ग में चयन प्रक्रिया के तहत पदोन्नति/नियुक्ति पर पद भार ग्रहण करने की तिथि से 90 दिन या इस आदेश के निर्गत होने के 90 दिन के अन्दर दिया जाना अनिवार्य होगा। केवल एक बार विकल्प दिये जाने की सुविधा प्रदान की जायेगी तथा एक बार दिये गये विकल्प को संशोधित/वापस नहीं लिया जायेगा। किसी भी दशा में दिये गये विकल्प के अनुसार किये गये वेतन निर्धारण को पुनः वापस नही लिया जा सकेगा। जिन कार्मिकों द्वारा निर्धारित अवधि में विकल्प नहीं दिया जायेगा, उनके सम्बन्ध में ए0सी0पी0 की अनुमन्यता हेतु आगमन बिन्दु (Induction Point) सीधी भर्ती का अंतिम धारित पद होगा।
4. आदेश के निर्गमन की तिथि से पूर्व का न तो कोई अवशेष देय होगा और न ही कोई प्रत्यापित्त (Recovery) की जायेगी।

संलग्नक – विकल्प–पत्र।

प्रबन्ध निदेशक

क्रमशः पृष्ठ–2 पर...

"विक्टोरिया क्रास विजेता गबर सिंह ऊर्जा भवन", कांवली रोड, देहरादून–248001, दूरभाषः 91–135–2763901 फैक्सः 91–135–2769771

... Road, Dehradun-248001, Phone: 91-135-2763901 Fax: 91-135 -2769771

पत्रांकः......968.......अधि0निदे0(मा0सं0) / उपाकालि / S-I / औ0सं0 / तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, अध्यक्ष, उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0।
2. स्टॉफ ऑफिसर–1, प्रबन्ध निदेशक, उपाकालि, वि0क्रा0वि0, गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।
3. निदेशक (वित्त / परिचालन / परियोजना), उपकालि, वि0क्रा0वि0, गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।
4. अधिशासी निदेशक (तकनीकी), उपकालि, वि0क्रा0वि0, गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।
5. समस्त मुख्य अभियन्ता स्तर (1/2), उपाकालि...।
6. समस्त उपमहाप्रबन्धक (वित्त) / अधीक्षण अभियन्ता / उप मुख्यलेखाधिकारी, उपाकालि..।
7. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उपाकालि..।
8. अधिशासी अभियन्ता (सू0प्रौ0), उपाकलि, वि0क्रा0वि0, गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून को उपाकालि की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

(आर0 जे0 मलिक)
अधिशासी निदेशक (मा0सं0)

कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप सं0 ....968.. दिनांक 15/03/2024

का विकल्प पत्र

मैं .... वर्तमान पद ....
जोकि वेतनमान .... में (कार्यालय का नाम) ....
में कार्यरत हूँ, घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मैं समयबद्ध वेतनमान की स्वीकृति हेतु :–

1. पूर्ववर्ती उ0प्र0रा0वि0प0 के आदेश सं0 .... दिनांक ....
में निहित प्राविधानों के परिपेक्ष्य में समयबद्ध वेतनमान की स्वीकृति हेतु पूर्व संवर्ग के पूर्व धारित पद .... दिनांक .... से अपना विकल्प चुनता/चुनती हूँ। मैं स्पष्ट रूप से समझता/समझती हूँ कि पूर्व संवर्ग के पूर्व धारित पद से समयबद्ध वेतनमान का विकल्प चुनने के फलस्वरूप मुझे नवीन संवर्ग के नवीन पद से समयबद्ध वेतनमान का लाभ प्राप्त नहीं होगा।

अथवा

नवीन संवर्ग के सीधी भर्ती के फलस्वरूप धारित पद .... दिनांक ....
से अपना विकल्प चुनता/चुनती हूँ।
(जो प्रयोज्य न हो उसे काट दें)

2. मैं स्पष्ट रूप से समझता/समझती हूँ कि उक्त विकल्प अन्तिम(Final) व अप्रतिसहाय(irrevocable) होगा तथा किसी भी दशा में वापस नहीं लिया जा सकता है –

मेरे समक्ष हस्ताक्षर किये

(1) हस्ताक्षर ....
पूरा नाम ....
पदनाम ....
कार्यालय ....
दिनांक ....

(2) हस्ताक्षर ....
पूरा नाम ....
पदनाम ....
कार्यालय ....
दिनांक ....

भवदीय,

हस्ताक्षर ....
पूरा नाम ....
पदनाम ....
कार्यालय ....
दिनांक ....

प्रतिहस्ताक्षर

(नियंत्रक अधिकारी के हस्ताक्षर व मोहर)
दिनांक – ....